न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.
अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 151/2024

कश्मीर सिंह पुत्र श्री कर्मसिंह जाति जटसिख निवासी चक 1 एच. छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. गुरमेज सिंह पुत्र श्री कश्मीर सिह जाति जटसिख निवासी चक 1 एच. छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री मदन यादव – – प्रार्थी
2. पैरोकरा राज – – अप्रार्थी 2

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 17.01.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी चक 1 एच. छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला काश्तकार किसान है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी का पुत्र है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम वाके चक 10 ए. छोटी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 89/79, मुरब्बा नम्बर 30 मे कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज है। यह कि मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक मे 11 फुट चौड़ा रास्ता पुराने अरसा से मौका पर चलता आ रहा है । जिसमे से किला नम्बर 5 व 6 प्रार्थी का है और किला नम्बर 15, 16, 25 प्रत्येक मे 11 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के दूसरे पुत्र मलकीत सिंह द्वारा प्रार्थी को जरिये दान पत्र दे रखा है। इसी रास्ता से प्रार्थी अपने कृषि भूमि मे कृषि कार्य के लिये आता जाता है। मौका पर चल रहे रास्ता के सम्बन्ध मे पटवारी हल्का की रिर्पोट प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मौका पर चल रहे रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी मौजूद नही है । इसी प्रचलित रास्ते की प्रार्थी को अत्याधिक आवश्यकता है, जो स्वीकृत किया जाकर रास्ता रिकार्ड में अमलदराम किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणधिकार मे है और उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी को अपने कृषि भूमि मे आने जाने के लिये चक 10 ए. छोटी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 89/79, मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक मे 11, 11 फुट रास्ता स्वीकृत किया जावे ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष की मुख्य बहस यह रही कि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी का पुत्र है। अप्रार्थी एवं प्रार्थी को रास्ता स्वीकृत किये जाने बाबत किसी प्रकार को कोई ऐतराज नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. मुताबिक आपसी सहमति स्वीकार किया जाकर रास्ता स्वीकृत किया जावे। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 251–ए में चाहे गये रास्ता के अनुसार प्रभावित खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अनुतोषिक रास्ता की भूमि संयुक्त खाता की आराजी है। जिसमें प्रत्येक काश्तकार का प्रत्येक इंच पर बराबर का अधिकार होता है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र पक्षकारों के संयोजन का अभाव रखा है। जिससे न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251–ए आर.टी.ए. स्वीकार योग्य नहीं पाता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251–ए आर.टी.ए. खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 17.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner